**मे0 बिरला कॉरपोरेशन लि0, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज, जिला–गया में प्रस्तावित 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट उत्पादन के लिए नई ग्रीन फील्ड सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना, 2006 के तहत् दिनांक 23.03.2021 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, गया का सभाकक्ष, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।**

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), बिहार द्वारा निर्गत TOR No.-F.No.SIA/3(b)/980/20, dated 07.12.2020 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया द्वारा नामित) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समाहरणालय, गया का सभाकक्ष में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया के माध्यम से दिनांक **17.02.2021**, हिन्दुस्तान एवं हिन्दुस्तान टाईम्स के माध्यम से दिनांक 18.02.2021 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई की सूचना कोल्हना एवं आस–पास के गाँव की स्थानीय आम–जनता को दिनांक 22.03.2021 को ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से भी दी गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के ज्वाइंट प्रेसिंडेंट डा0 अशोक कुमार सिंह ने पावर प्वाईंट प्रस्तुती द्वारा इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इकाई को ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज, जिला–गया, बिहार में 64.35 एकड़ भूमि अधिग्रहित करनी है। इसमें हरित पट्टी, (वृक्षारोपण क्षेत्र) कुल क्षेत्र का 33 प्रतिशत भाग यानि 21.26 एकड़ प्रस्तावित है। हरित पट्टी त्रिस्तरीय होगी। विस्थापन की कोई समस्या नहीं है।

मे0 बिरला कॉरपोरेशन लि0 के द्वारा 2.4 MTPA क्षमता का सीमेंट ग्राइंडिंग की स्थापना की परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में क्लींकर, स्लैग, फ्लाई ऐश, जिप्सम की तथा ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना में उत्पादन के समय लगभग 45 कामगारों की आवश्यकता होगी तथा योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 312 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है जिसमें भू–गर्भ जल का उपयोग किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए 20.00 मेगावाट विद्युत की

आवश्यकता होगी, जिसे साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किया जायेगा। इस इकाई में पूरी तरह से सूखी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इकाई में उत्पादन प्रक्रिया में जल की आवश्यकता नहीं है।

कुलिंग वाटर बंद परिपथ में रहेगा। औद्योगिक बहिस्राव शून्य होगा। घरेलू बहिस्राव का प्राथमिक उपचार एस टी पी में किया जायेगा। उपचारित बहिस्राव का पुनः उपयोग जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिए किया जायेगा। इकाई परिसर से किसी प्रकार का बहिस्राव बाहर निस्सारित नहीं होगा। पानी के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, वर्षा जल संचयन कार्यान्वित की जायेगी। क्लींकर एवं फ्लाई ऐश को स्टोरेज साइलो में रखा जायेगा। जिप्सम को भण्डारण यार्ड में संग्रहित किया जायेगा। क्लींकर, जिप्सम और फ्लाई ऐश को वेट फीडर के माध्यम से निकाला जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के फेज–1 में एक वर्टिकल रोलर मिलर क्षमता 180 टी.पी.एच. पी.पी.सी./140 टी.पी.एच. पी.एस.सी. एवं फेज–2 में एक वर्टिकल रोलर मिलर क्षमता 180 टी.पी.एच. पी.पी.सी./140 टी.पी.एच. पी. एस.सी. स्थापित की जायेगी। दोनों की वार्षिक क्षमता 1.2 मिलीयन टन होगी। फेज–1 में Hot Air Generater (HAG) के लिए कोयला से संचालित 20 एम कैल का जेनरेटर लगाये जाने का प्रस्ताव है। फेज–2 में Hot Air Generater (HAG) हेतु महीन कोयले के लिए 5 टन/घंटा क्षमता वाला क्रशर लगाये जाने का प्रस्ताव है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीमेंट मिल गैसों के डी–डस्टिंग के लिए एक बैग हाउस लगाया जायेगा। फेज–1 में सीमेंट भण्डारण हेतु आर.सी.सी. साइलो 8000 मीट्रिक टन क्षमता का प्रस्ताव है। फेज–2 में सीमेंट भण्डारण हेतु 2 स्टील साइलो प्रत्येक की क्षमता 2000 मीट्रिक टन का प्रस्ताव है। सीमेंट प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीमेंट वॉल मिल में पल्स जेट बैग फिल्टर्स और डस्ट–क्लेक्शन लगाया जायेगा तथा चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखी जायेगी। उपकरण में एकत्रित धूल को वापस प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जायेगा। कच्चे माल स्थानांतरण क्षेत्र, लदान और उतराई क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र में फ्यूजिटीव उत्सर्जन को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जायेगा। कोयले के दहन से उत्पन्न राख का उपयोग पी.पी.सी. विनिर्माण में किया जायेगा। अन्य ठोस अपशिष्ट जैसे अस्वीकृत कन्वेयर बेल्ट/डैमेज सीमेंट बैग्स/पेपर/वुडेन और प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः नवीनीकरण हेतु भेज दिया जायेगा। पी.यू.सी. रजिस्टर्ड वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उचित रख–रखाव किया जायेगा। सभी श्रमिकों को पी पी ई प्रदान किया जायेगा। इकाई द्वारा खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि उपयोग/खर्च किये गये तेल को Authorized Vendor को दिया जायेगा एवं Hazardous and other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 की प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के अध्यक्ष द्वारा आम जनता को बताया गया कि आप यहाँ के स्थानीय है। इस इकाई के लगने से क्या–क्या प्रदूषण की सम्भावना है। उसके निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आपको विस्तार से बताई गयी है। इसके अलावे पर्यावरण पर और क्या असर पड़ने की सम्भावना है। या कोई शंका है तो उसे निर्भिकतापूर्वक रखेंगे। आपका सुझाव/मंतव्य/शिकायत को इस लोक सुनवाई के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:–

1. श्री देवी दयाल सिंह, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा बताया कि इकाई स्थल कृषि प्रधान गॉव है। प्रस्तावित स्थल पर जल का स्रोत संग्रहण क्षेत्र का भाग है, पानी बाहर से आता है, प्रस्तावित ईकाई बनने के कारण पानी का बहाव रूकने की संभावना है इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

   परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ईकाई संरचना के कारण पानी के बहाव को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा। बहाव पूर्व तरीके से जारी रहेगा। इसके अलावे हमारे समाजिक कार्य में आस पास का तालाब का गहरी करण, नये तालाब का निर्माण किया जायेगा।

   इनके द्वारा पुनः पूछा गया कि स्थानीय आम जनता को प्रस्तावित परियोजना में रोजगार देने का क्या प्रावधान है।

   परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि इस परियोजना में लगभग 45 कामगारों कि आवश्यकता होगी। शैक्षनिक योग्यता एवं परियोजना के आवश्यकता अनुसार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगगी। इसके अलावे हमलोग के द्वारा आस–पास के युवको को दक्षता ट्रेनिंग व आई.टी.आई ट्रेनिंग के लिए सहयोग प्रदान किया जायेगा, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने लायक बन जायेगें।

2. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा बताया कि वर्तमान में हमलोग इस परियोजना के आने हेतु सहयोग कर रहे है आगे भी करते रहेगे। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि गॉव के विकास सड़क, स्वास्थय एवं पर्यावरण हेतु कार्य किया जाये।

   परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हमारे समाजिक उत्तरदायित्व के तहत् सड़क, स्कूल, अस्पताल, ऑगनबाड़ी जो आस–पास में उनका सुदृढिकरण किया जायेगा। आवश्यकता अनुसार चाहर दिवारी का निर्माण, शौचालय का निर्माण, पानी की व्यवस्था इत्यादि किया जायेगा। स्वास्थय के लिए हमारी अपनी डिस्पेंसरी होगी, प्राथमिक उपचार का व्यवस्था रहेगा, एम्बुलेंस कि व्यवस्था करेगें।

3. श्री दीपक कुमार सिंह, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा पूछा गया कि परियोजना लागत का कितना प्रतिशत विकास कार्य पर खर्च किया जायेगा।

   परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि इकाई के संचालन होने पर सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कम्पनी के मुनाफे का दो प्रतिशत विकास कार्य पर खर्च किया जायेगा। आपके सुझाये गये आवश्यकता के अनुसार स्वास्थय, आधारभूत संरचना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किये जायेगें।

4. श्री उदय सिंह, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा बताया कि परियोजना आने के कारण वायु प्रदूषण, धूल–कण उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण कि समस्या होगी, रसायन खेत में जाने कि संभावना है, भू–गर्भीय जल स्तर नीचे जायेगें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होनें सुझाव दिया कि गॉव वालो को शिक्षा दी जाये, गॉव में अस्पताल की व्यवस्था की जाये एवं मंदिर निर्माण किया जाये।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियत्रंण हेतु सारे समुचित उपकरण लगाये जायेगें एवं उसका संचालन भी किया जायेगा प्रदूषक तत्वों की मात्रा मेन गेट पे डिस्प्ले होगा। वृक्षा रोपण, सड़क का पक्कीकरण एवं पानी का छिड़काव किया जायेगा। पानी का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जायेगा, पीने का पानी एवं घरेलु उपयोग में पानी का खपत होगा। गंदा पानी (वहिःस्राव) का उपचार करने के बाद उसका ग्रीनबेल्ट विकास एवं डस्ट सप्रेशन के लिए किया जायेगा।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि इकाई के संचालन होने पर सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आपके सुझाव के अनुसार स्वास्थय, आधारभूत संरचना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किये जायेगें।

5. श्री अमित भारद्वाज, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा पूछा गया कि आस–पास के जमीन प्रदूषण से प्रभावित होने कि स्थिति में मुआवजा का प्रावधान है या नहीं।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि हमारे द्वारा प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य किया जायेगा। किसी भी परिस्थति में आस–पास के खेतो को प्रदूषित नहीं किया जायेगा। प्रदूषक तत्वों कि मात्रा निर्धारित सीमा के अन्दर रखी जायेगी। प्रदूषण के कारण मुआवजा का प्रावधान नहीं है।

उनके द्वारा पूछा गया कि परियोजना के आने के बाद आस–पास के खेतों की सिचांई जो कि तत्काल प्रभावित होगें, इसका उपाय परियोजना लगाने के पहले किया जायेगा या बाद में ।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना का शुरूआत पर्यावरणी स्वीकृति मिलने के उपरांत हीं किया जायेगा। इकाई निर्माण के साथ–साथ समाजिक उत्तरादायित्व का कार्य साथ–साथ किया जायेगा।

उनके द्वारा पुनः पूछा गया कि सिचांई के लिए क्या–क्या व्यवस्था करने कि योजना है।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आस–पास के तालाबो को गहरीकरण, पुराना कुऑ को सुधार, जल संचयन एवं भू–गभीर्य जल रिचार्ज कार्य किया जायेगा। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों के मदद से क्षेत्र में ड्रिप व फब्बारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6. श्री नरेन्द्र कुमार, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा पुनः पूछा गया कि परियोजना में 312 के.एल प्रतिदिन पानी का उपयोग किया जायेगा। इसका भरपाई करने कि क्या योजना है।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जल संरक्षण हेतु वाटर हारवेस्टिंग, रूफ रेन वाटर संचयन किया जायेगा, पुराने तालाबों का गहरीकरण एवं आवश्यकता अनुसार नये तालाबो का निर्माण किया जायेगा।

7. श्री अविनाश सिंह, ग्राम–कोल्हना, वजीरगंज द्वारा पूछा गया कि जिनका जमीन परियोजना में नहीं गया है उनको रोजगार दिया जायेगा या नही। जो बच्चे छोटे है पन्द्रह साल बाद उसको वयस्क होने के उपरांत रोजगार दिया जायेगा या नहीं।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कोई व्यक्ति द्वारा जमीन दिया गया है या नहीं, रोजगार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। छोटे बच्चे वयस्क होने के बाद आवश्यकता अनुसार एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा।

8. श्री सतीश कुमार, ग्राम– ईश्वरपुर, वजीरगंज द्वारा पूछा गया कि फैक्ट्री का सड़क निकासी किधर से होगा। किसी वर्तमान सड़क को अवरूद्ध किया जायेगा या नहीं। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आहर के पानी के बहाव को सड़क निर्माण में अवरूद्ध नहीं किया जाय।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सड़क का निकास वजीरगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिम तरफ से होगा। अगर सर्वे करने के उपरांत ईश्वरपुर कि ओर से सड़क निर्माण कि जरूरत प्रतीत होगी तो दोनों तरफ से सड़क निर्माण किया जायेगा। कोई वर्तमान ग्रामीण सड़क को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा। सड़क निर्माण में कलवर्ट, पुलिया इत्यादि का निर्माण किया जायेगा, ताकि पानी का बहाव अवरूद्ध न हो।

9. श्री परमानन्द सिंह, ग्राम– कोल्हना, वजीरगंज द्वारा बताया गया कि परियोजना स्थल टाल क्षेत्र में किया जा रहा है। यहॉ पानी का संचय होता है। किसान उसी पर आश्रित है। इसलिए इकाई का निर्माण इस तरह से किया जाय कि जल संचय में एवं किसान को सिंचाई में असुविधा न हो।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि जो भी सुविधा विकसित होगी उसमें उस क्षेत्र के एकिकृत विकास का उद्देश्य होगा। भविष्य में भी आपलोग के सुझाव आमत्रिंत किये जायेगें।

10. श्री जर्नादन सिंह, ग्राम– कोल्हना, वजीरगंज द्वारा पूछा गया कि अगर इस परियोजना में किसी का पूरा जमीन अधिगृहित किया जायेगा तो उसको लाभांश के रूप में या रोजगार के रूप में लाभ दिया जायेगा या नहीं।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि इस परियोजना में किसी भी व्यक्ति का शत प्रतिशत जमीन नहीं लिया गया है। लाभांश का कोई भी प्रावधान नहीं है।

11. श्री कामेश्वर मांझी, ग्राम– ईश्वरपुर, वजीरगंज द्वारा पूछा गया कि इकाई या सड़क परिवहन के वजह से ध्वनि या वायु प्रदूषण होगा इसके रोकथाम हेतू क्या व्यवस्था कि जायेगी। साथ हीं क्या ईश्वरपुर गॉव में भी शिक्षा एवं विकास के कार्य भी चलाये जायेगें।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की ध्वनि व वायु पदूषण के लिए उचित व्यवस्था की जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। साथ हीं साथ उन्होनें आश्वस्त किया कि ईश्वरपुर गॉव में भी शिक्षा एवं विकास के अन्य कार्य किये जायेगें।

12. क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद द्वारा सुझाव दिया गया कि कच्चे माल का भंडारण बंद शेड में की जाये, कोयले के क्रशर में वायु प्रदूषण नियत्रंण (स्क्रीन कवर, बैग फिल्टर इत्यादि) की समुचित व्यवस्था हो, पहुॅच पथ पर एवं वाहन परिचालन क्षेत्र में जल छिड़काव की व्यवस्था हो, इकाई परिसर में मिस्ट स्प्रे कि व्यवस्था कि जाये, पौधा रोपण त्रिस्तरीय हो। उनके द्वारा पूछा गया कि भूमिअधिग्रहण वर्तमान कितना किया गया है एवं कोयला कहॉ से लाया जायेगा।

परियोजना प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में लगभग 27 (सताईस) एकड़ जमीन अधिगृहित की गई है। कोयला महानदी कोल फिल्ड लिमिटेड, कोल इडिया लिमिटेड से मंगाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आम जनता की बातों का ध्यान रखा जायेगा। फैक्ट्री लगने से स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण नहीं हो। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। गया जिला में पानी का अभाव है। 312 के.एल. प्रतिदिन पानी का उपयोग इस परियोजना में किया उपयोग जायेगा उसकी भरपाई हेतु विस्तृत परियोजना बनाकर लोगों को बताना होगा। अगल–बगल का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। पानी का संचयन परियोजना स्थल पर होता है। आहर, पईन, का उपयोग जल संचयन एवं बाद में जल का उपयोग किया जाता है। परियोजना के कारण जल स्रोत में पानी अवरूद्ध नहीं होना चाहिए। जल संचयन एवं वर्षा का संचयन का ख्याल रखा जाये। वाहन परिचालन क्षेत्र में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण गॉव के बच्चे, बुर्जुग प्रभावित होते है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का उपाय किया जाये। किसी भी परिस्थिति में ध्वनि स्तर निर्धारित मानक से अधिक न हो। इकाई परिसर के अन्दर एक अच्छी डिस्पेंसरी बनाये तथा डाक्टर की बहाली करे। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधित रोग होता है उसके उपचार हेतु व्यवस्था कि जाये एवं एक अच्छा एम्बुलेंस कि व्यवस्था हो। रोजगार में स्थानीय लोग को प्राथमिकता दी जायें।

उन्होनें बताया कि इस तरह कि परियोजना आने से डाइरेक्ट रोजगार के साथ–साथ इनडाईरेक्ट रोजगार का सृजन होता है। क्षेत्र का आर्थिक उन्नति होगी। क्षेत्र का विकास होगा। सिमेंट उद्योग का विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आधारभूत संरचना सड़क, भवन, पुल, पुलिया इत्यादि के निर्माण में सिमेंट का उपयोग महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

23-3-4
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

23/3/2004
अपर समाहर्त्ता,
गया

# उपस्थिति सूची

मे० बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोल्हना, वजीरगंज, जिला-गया में प्रस्तावित 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट उत्पादन के लिए नई ग्रीन फील्ड सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना हेतु समाहरणालय, गया का सभाकक्ष, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 23.03.2021 के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

| क्र० सं० | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | Manoj Kumar | ADM, Collectorate Gaya | [signature] 23/3/2021 |
| 2. | आशीष कुमार शुक्ला | क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया | ह०/- 23-3-2021 |
| 3. | Shahbaz Khan | Senior Deputy collector, Gaya | [signature] 23/3/2021 |
| 4. | Shambhu Nath Jha | Asstt. Env. Engineer B.S.P.C.B, Patna | |
| 5. | Dr A.K. Singh | BCL Mumbai | [signature] |
| 6. | महेन्द्र सिंह | ग्राम - कोल्हना | 23.3.21 |
| 7. | राजनारायण सिंह | // | 23.3.2021 |
| 8. | उपेन्द्र नारायण सिंह | // | 23-3-2021 |
| 9. | चन्द्रशेखर सिंह | // | 23-3-2021 |
| 10. | Sudhir Singh | Kolhana | 23.3.2021 |
| 11. | Amar Kumar | Kolhana. | 23.3.2021 |
| 12. | Bhola Kumar Tiwari | Kolhana. | 23.3.2021 |
| 13. | Shailendra Singh. | Kolhna | 23.3.2021. |
| 14. | Kameshwar prasad | ISHWARPUR | 23.03.2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | सुरेश मांझी | रघुनाथपुर | 23/3/2021 |
| 16. | चन्द्रीका मांझी | रघुनाथ पुर | 23/3/2021 |
| 17. | रघुन मांझी | रघुनाथ पुर | 23/3/2021 |
| 18. | सुगम सिंह | कोल्हना | 23/3/2021 |
| 19. | Shiv Narayan Mandal | Ishawar pur | Shiv Narayan 23/3/2021 |
| 20. | घोघी मांझी | रघुनाथपुर | 23/3/21 |
| 21. | गौतम कुमार | कोल्हना | 23:3:2021 |
| 22. | Rohit Kumar | कोल्हना | 23/03/2021 |
| 23. | [illegible] | Kolhan | 23.3.2021 Bhardwaj |
| 24. | Amit Bhardwaj | KOLHAMA | Amit Bhardwaj 23/03/21 |
| 25. | Radha Raman | Ishawar pur | Radha Rama |
| 26. | Suryam Kumar | Kolhana | Suryam Singh |
| 27. | [illegible] | कोल्हना | [illegible] |
| 28. | मुकेश कुमार [illegible] | कोल्हना | मुकेश कुमार |
| 29. | दीपक कुमार सिंह | कोल्हना | Deepak |
| 30. | Rahul Kumar | Kolhana Lala, Ishwarpur | Rahul [illegible] |
| 31. | Satish Kumar | Ishwar pur | P Satish |
| 32. | Manoj Kumar | Kolhana | Manoj Kumar |
| 33. | Prince Kumar | Kolhana | Prince Kumar |
| 34. | Narendra Kr Singh | Kolhana | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35. | Dipak Kumar | Kolhana | [illegible] |
| 36. | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 37. | [illegible] | " | [illegible] |
| 38. | [illegible] | Kolhana | [illegible] |
| 39. | [illegible] Singh | Kolhana | [illegible] |
| 40. | [illegible] Singh | Kolhana | |
| 41. | [illegible] | Kolhana | |
| 42. | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 43. | Avinash Singh | Kolhana | [illegible] |
| 44. | [illegible] | | |
| 45. | Chhotu Kumar | Kolhana | |
| 46. | Prem Prakesh | Kolhana | |
| 47. | Ankit Kumar | Kolhana | |
| 48. | Prabhat Kumar | Kolhana | |
| 49. | Shantanu Kumar | Kolhana | |
| 50. | [illegible] | [illegible] | |
| 51. | Birendra Singh | H.M. D.I.C. Gaya | [illegible] 23/03/2[illegible] |
| 52. | Dr. S. Prasad | Paramarsh Env.-Consultant | [illegible] 23/03/21 |
| 53. | Rajesh Sagar | BCL, Mumbai | [illegible] |
| 54. | VIRENDRA PRASAD | BCL. KOLKATA | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55. | Sibu Prasad Jena | BCL, Kolkata | |
| 56. | Hemant Kumar Sinha | BCL, Gaya | |
| 57. | Tamal Kumar Pal | BCL, Kolkata | |
| 58. | RAVI PRAKASH | BCL, Gaya | |
| 59. | | | |
| 60. | | | |
| 61. | | | |
| 62. | | | |
| 63. | | | |
| 64. | | | |
| 65. | | | |
| 66. | | | |
| 67. | | | |
| 68. | | | |
| 69. | | | |
| 70. | | | |
| 71. | | | |
| 72. | | | |
| 73. | | | |
| 74. | | | |